कार्यालय जनपद न्यायाधीश, हमीरपुर।

नीलामी सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि वित्तीय वर्ष 2026–27 के लिये जनपद न्यायालय, हमीरपुर के प्रांगण में स्थित कैन्टीन (जलपान गृह) की नीलामी दिनांक 10.04.2026 को समय सायं 4.00 बजे नियत की गयी है। उक्त तिथि के अन्दर इच्छुक व्यक्ति निम्न शर्तो सहित नीलामी की खुली बोली हेतु दिनांक 10.04.2026 को समय 1.00 बजे अपरान्ह तक प्रस्तुत कर सकते है।

1. कैंटीन (जलपानगृह) को वित्तीय वर्ष 2026–27 के लिये प्राप्त करने हेतु आवेदन पत्र के साथ प्रत्येक बोलीदाता को जमानत धनराशि के रुप में मु0 10,000/– रुपये (दस हजार रुपये) नगद दिनांक 10.04.2026 को 01.00 बजे अपरान्ह तक इस कार्यालय में नीलामी बोली से पूर्व जमा करनी होगी। मु० 166000/– रू० (एक लाख छाछठ हजार रु० मात्र) से कम की कोई भी बोली स्वीकार नहीं की जायेगी।

2. जिस व्यक्ति की नीलामी धनराशि अधिक होगी वह स्वीकार की जायेगी तथा उसे सम्पूर्ण धनराशि का 1/4 अग्रिम किस्त के रुप में तुरन्त कार्य आरम्भ करने के पूर्व जमा करना होगा तथा उसे अपने कार्यों का लिखित अनुबन्ध पत्र भी दाखिल करना पड़ेगा। उसके द्वारा जो जमानत धनराशि जमा की जायेगी उसे इस कार्यालय में जमा कर लिया जायेगा, जिसे अन्तिम किस्त में समायोजित किया जायेगा। नीलामी स्वीकृति की तारीख से 7 दिन के अन्दर ठेकेदार को अपना हैसियत प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा अथवा ऐसा न करने पर ठेके की सम्पूर्ण धनराशि कार्य करने के पूर्व प्रस्तुत करनी होगी।

कैंटीन (जलपानगृह) से सम्बन्धित नीलामी एवं कार्य करने की अन्य शर्तो की विस्तृत जानकारी नजारत अनुभाग से किसी भी कार्य दिवस एवं कार्यालय समय पर प्राप्त की जा सकती है।

संलग्नक– नीलामी की शर्ते

अध्यक्ष 01/04/26
नीलामी समिति
जनपद न्यायालय, हमीरपुर।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. श्रीमान् ओ०एस०डी० (कम्प्यूटर) मा०उच्च न्यायालय, इलाहाबाद को मा०उच्च न्यायालय की 2 वेबसाइट पर नीलामी सूचना को प्रदर्शित किये जाने के अनुरोध सहित प्रेषित।
2. मा० जनपद न्यायाधीश महोदय, हमीरपुर को सूचनार्थ
3. जनपद न्यायालय, हमीरपुर के नोटिस बोर्ड पर चस्पा हेतु।
4. कार्यालय जिलाधिकारी, हमीरपुर को नोटिस बोर्ड पर चस्पा हेतु।
5. कार्यालय नगर पालिका, हमीरपुर को नोटिस बोर्ड पर चस्पा हेतु।
6. कार्यालय मुख्य विकास अधिकारी, हमीरपुर को नोटिस बोर्ड पर चस्पा हेतु।
7. जनपद न्यायालय, कानपुर नगर को सूचना पट पर चस्पा करने हेतु।
8. जनपद न्यायालय, बांदा को सूचना पट पर चस्पा करने हेतु।
9. जनपद न्यायालय, महोबा को सूचना पट पर चस्पा करने हेतु।
10. जनपद न्यायालय, जालौन स्थान उरई को सूचना पट पर चस्पा करने हेतु।
11. जिला सूचना अधिकारी को निःशुल्क प्रकाशन हेतु।
12. सिस्टम ऑफीसर, जनपद न्यायालय, हमीरपुर को मा०उच्च न्यायालय एवं जनपद न्यायालय, हमीरपुर की वेबसाइट पर सूचना को प्रदर्शित किये जाने हेतु।

अध्यक्ष 01/04/26
नीलामी समिति
जनपद न्यायालय, हमीरपुर।

नीलामी सूचना की शर्ते

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि जनपद न्यायालय हमीरपुर प्रांगण में स्थित कैन्टीन (जलपान गृह) के व्यवसाय की नीलामी खुली बोली द्वारा दिनांक 10.04.2026 को सायं 04.00 बजे नियत किया गया है, जो न्यायालय भवन के मीटिंग हाल में सम्पन्न होगी। सम्बन्धित व्यक्ति जो उक्त ठेके को लेने की रूचि रखता हो, उपरोक्त तिथि एवं स्थान पर उपस्थित होकर नीलामी की कार्यवाही में भाग ले सकते हैं।

सामान्यतः ठेके की शर्ते निम्नलिखित होगी,

1 इस ठेके की नीलामी दिनांक 10.04.2026 अथवा स्वीकृति की तिथि से दिनांक 31.03.2027 तक के लिए दी जायेगी ।

2 दीवानी न्यायालय के अहाते में स्थान की नीलामी जिस कार्य के लिए होना है, वह स्थान पहले से सुनिश्चित है। इस ठेके से सम्बन्धित नीलामी कार्यवाही हेतु दिनांक 10.04.2026 को सायं 4.00 बजे दिन नीलामी समिति जिला जजी हमीरपुर की देखरेख में नीलामी की कार्यवाही आरम्भ की जायेगी।

4 नीलामी कार्यवाही उचित रूप से सम्पादित करने हेतु नीलामी समिति जिला जजी, हमीरपुर द्वारा की गयी व्यवस्था तथा शर्तों का पालन करना अनिवार्य होगा।

5 बोली में भाग लेने वाले व्यक्तियों को जमानत की धनराशि मु० 10000/-रू० नकद दिनाँक 10.04.2026 को समय 1.00 बजे के पूर्व इस कार्यालय में दाखिल करनी होगी, जिसकी न्यूनतम बोली मु० 1,66,000/-रू० से प्रारम्भ होगी। इस धनराशि से कम की बोली बोलने वाले व्यक्ति कार्यवाही में सम्मिलित नहीं हो सकते हैं, जिसकी बोली स्वीकृत की गयी है तो 1/4 धनराशि अग्रिम किश्त के रूप में तुरन्त कार्य आरम्भ करने के पूर्व जमा करना होगा तथा उसे अपने कार्यों का लिखित अनुबंध पत्र दाखिल करना पड़ेगा। उसके द्वारा जो जमानत धनराशि नकद जमा की जायेगी, उसे इस कार्यालय में जमा कर लिया जायेगा। उसे अन्तिम किश्त में समायोजित किया जायेगा तथा शेष व्यक्तियों को जमानत धनराशि नीलामी कार्यवाही समाप्त होने पर सम्बन्धित्त व्यक्ति को लौटा दी जायेगी।

6. जिस व्यक्ति के हक में ठेका जिला जज द्वारा अन्तिम रूप से स्वीकार किया जायेगा उसे ठेके के बावत स्वीकृति की तारीख से सात दिन के अन्दर नियत किश्तों पर एग्रीमेंट बहक राज्य सरकार जिला जज को अपने खर्चे पर उस सम्बन्ध में लिखना होगा।

7 नीलामी स्वीकृत होने पर स्वीकृति की तारीख के 7 दिन के अन्दर ठेकेदार को अपना हैसियत प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा अथवा ऐसा न करने पर ठेके की सम्पूर्ण धनराशि कार्य करने के पूर्व प्रस्तुत करनी होगी।

8 नीलामी को अन्तिम रूप से स्वीकृत करने अथवा न करने का पूर्ण अधिकार माननीय जिला जज को होगा जो बिना कोई कारण बताये किसी भी बोली को निरस्त कर सकते हैं।

9 यदि ठेकेदार जिसकी बोली जिला जज द्वारा स्वीकृत की गयी है तथा स्वीकृति की सूचना के सात दिन के अन्दर हैसियत प्रमाण पत्र एवं एग्रीमेंट प्रस्तुत नहीं करता है तो जिला जज को यह अधिकार होगा कि उसके नीलामी के समय प्रस्तुत जमानत धनराशि 1/4 अंश जैसा कि जिला जज महोदय अपने विवेक से उचित समझे जब्त कर लें और सम्बन्धित ठेका तुरन्त दुबारा नीलाम करवा दें।

10 कैन्टीन का सामयिक निरीक्षण दीवानी न्यायालय के किसी भी अधिकारी द्वारा किया जा सकेगा। ठेकेदार सफाई की पूर्ण व्यवस्था स्वयं अपने खर्चे पर करेगा। ऐसा न करने की दशा में सम्बन्धित ठेकेदार का ठेका समाप्त करने का अधिकार जिला जज को होगा।

11. किसी आदेश या शर्त के उल्लंघन करने पर ठेका काबिल मंसूखी होगा और उससे उत्पन्न नुकसान की पूरी जिम्मेदारी ठेकेदार की होगी। ठेकेदार को जल एवं विद्युत चार्ज अलग से देना होगा, जिसे जिला जज महोदय निर्धारित करेंगे।

12. किसी व्यक्ति को किसी अन्य व्यक्ति के नाम नीलामी की बोली बोलने का अधिकार नहीं होगा और न ही कोई ठेका ही मन्जूर किया जायेगा। नीलामी अधिकारी किसी भी बोली बोलने वाले व्यक्ति के शरारत पूर्ण आचरण पर उसे नीलामी स्थल से बाहर करने को अधिकृत होगें तथा उसकी जमानत धनशीश जो जमा है. जब्त कर ली जायेगी।

13.ठेकेदार को इस बात की सहमति देनी होगी कि अगर कोई रकम बावत ठेका उसके नियत अदायगी की तिथि पर शेष रहे, यह रकम बतौर बकाया राजस्व लगा वसूल की जा सकती है।

14. ठेके की अवधि के समाप्ति के पूर्व यदि किसी शर्त या निश्चित समय पर किशत न देने के उल्लंघन के कारण यदि ठेका ठेकेदार के विरूद्ध रद्द करा लिया जाता है तो अपनी दुकान का मलवा हटाने का अधिकारी नहीं होगा। वह मलवा जैसा भी हो सरकारी सम्पत्ति हो जायेगी। जिला जज महोदय उन शर्तों के अधीन जिसको वह उचित समझे उसे मलवा हटाने की अनुमति दे सकते हैं।

15. दौरान मियाद ठेका ठेकेदार किसी अन्य व्यक्ति को हस्तान्तरण नहीं करेगा और न ही वह अपने घर के सदस्य या कर्मचारी के अतिरिक्त किसी अन्य व्यक्ति को दुकान पर बैठने देगा। इस शर्त के उल्लंघन करने पर यदि जिला जज चाहें तो उसका ठेका तुरन्त समाप्त कर सकते हैं और ठेके की मियाद का शेष धन सम्बन्धित ठेकेदार से वसूल कर सकते हैं।

16. उपरोक्त शर्तों के अलावा जिला जज को यह अधिकार भी होगा कि ठेके को समुचित ढंग से चलाने के लिए समुचित आदेश ठेकेदार को दें, उनके किसी भी आदेश का उल्लंघन ठेके की शर्तों का उल्लंघन माना जायेगा।

17. उपरोक्त किसी शर्त का उल्लंघन करने पर ठेकेदार का ठेका जिला जज महोदय के विवेक विचार के अनुसार समाप्त किया जा सकता है। उसके इस प्रकार के ठेके की समाप्त के बावत आदेश के फलस्वरूप ठेकेदार जिला जज दीवानी न्यायालय उत्तर प्रदेश सरकार के विरूद्ध हर्जे या अन्य अनुतोष के बावत दावा करने का अधिकारी नहीं होगा।

18. ठेकेदार कैण्टीन की दुकान से सम्बन्धित खाद्य पदार्थ दीवानी न्यायालय के कर्मचारियों को निर्धारित मूल्य पर 15 प्रतिशत की छूट देगा।

अध्यक्ष 01/04/26

नीलामी समिति

जनपद न्यायालय, हमीरपुर।